भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 3864

(जिसका उत्तर सोमवार, 24 मार्च, 2025/3 चैत्र, 1947 (शक) को दिया गया)

इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स और कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन

3864. श्री दुष्यंत सिंहः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) और कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;
(ख) क्या इस सहयोग का उद्देश्य भारत को सुदृढ़ कार्बन बाजार की ओर ले जाने में सहायता करना है;
(ग) क्या सरकार की इस भागीदारी के परिणामों को राष्ट्रीय डीकार्बनाइजेशन नीतियों में एकीकृत करने की कोई योजना है और देश में कार्बन ट्रेडिंग तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए किन विशिष्ट विनियामक ढांचों पर विचार किया जा रहा है;
(घ) देश में कार्बन बाजार की प्रभावकारिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और
(ङ) क्या सरकार के पास उत्सर्जन कटौती संबंधी प्रतिबद्धताओं के अनुपालन का पता लगाने के लिए कोई निगरानी तंत्र मौजूद है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) और कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआई) के बीच समझौता ज्ञापन के मुख्य उद्देश्य कार्बन मूल्य निर्धारण, ऑफसेट तंत्रों, उत्सर्जन में कमी की सर्वोत्तम प्रथाएं, कार्बन ट्रेडिंग में क्षमता निर्माण और विनियामक अनुपालन पर अकादमिक शोध करना है।

(ग): ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ): कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए इनपुटों के अनुसार, भारत सरकार ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) को जून, 2023 में तथा संशोधन को दिसंबर, 2023 में अधिसूचित किया। इस योजना में दो तंत्र अर्थात् अनुपालन तंत्र और ऑफसेट तंत्र परिभाषित किए गए हैं। अनुपालन तंत्र में, बाध्य संस्थाएं कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के प्रत्येक अनुपालन साइकल में निर्धारित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के मानदंडों का अनुपालन करेंगी। ऑफसेट तंत्र में, गैर-बाध्य संस्थाएं कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी करने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी या उसे हटाने या उसके परिहार के लिए अपनी परियोजनाओं को पंजीकृत कर सकती हैं।

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना का उद्देश्य कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों की ट्रेडिंग के माध्यम से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन का मूल्य निर्धारण करके भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना या उसका परिहार करना है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना की परिकल्पना सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को उत्सर्जन कम करने की आर्थिक लागत को कम करने में सुविधा प्रदान करने के लिए की गई है।

******